डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, ऑवला, बरेली।

दिनांकः: 23.05.2025

आवश्यक सूचना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, ऑवला, बरेली में स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0 व बी0एससी0) में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर पंजीकरण करने के उपरान्त महाविद्यालय की बेवसाइट– **www.gdcaonla.org** पर दिनांक 23.05.2025 से अपना पंजीकरण करायें तथा उसकी हार्ड कॉपी निम्न संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में दिनांक 11.06.2025 तक जमा करना सुनिश्चित करें–

1. विश्वविद्यालय का पंजीकरण फार्म
2. महाविद्यालय का पंजीकरण फार्म
3. हाईस्कूल अंक पत्र व प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
4. इण्टरमीडियट अंक पत्र व प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
5. जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
6. मूल निवास प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
7. भारांक सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
8. आधार कार्ड की छाया प्रति की छाया प्रति
9. EWS सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति
10. 05 नवीन फोटोग्राफ

नोट– महाविद्यालय की बेवसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु पंजीकरण शुल्क 50/– रूपये है।

सलंग्नक– विश्वविद्यालय का नोटिस।

आज्ञा से
प्राचार्य

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHIKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

Website: www.mjpru.ac.in, (NAAC Acredited A++)

पत्रांक : रू.वि. / ऑ.प्र. / 2025 / 981-985 दिनांक : 22.05.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषय : समर्थ पोर्टल के माध्यम से (सत्र 2025–26) के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बरेली, पीलीभीत, बदायूँ एवं शाहजहाँपुर जिलों में संचालित महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया एवं उस हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर संशय बना हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि सत्र 2025–26 में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर अभ्यर्थियों का केवल पंजीकरण कराया जाना है एवं अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के पंजीकरण **(MJPRURN)** के साथ स्वेच्छा से किसी भी महाविद्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

यहाँ पुनः स्पष्ट करना है कि विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण **(MJPRURN)** संख्या निर्गत होने के पश्चात् पंजीकृत छात्रों से आवेदन आमंत्रित करते हुये, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर अपने स्तर पर प्रवेश सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा प्रवेशित छात्रों का डाटा समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर ही सुनिश्चित की जानी है। कृपया उपरोक्तानुसार प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में भी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या रू.वि. / ऑ.प्र. / 2025 / 2248–56 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा भी अवगत कराया गया था। सुलभ संज्ञान हेतु पूर्व आदेश एवं पंजीकरण प्रक्रिया पुनः संलग्न की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, समन्वयक, ऑनलाईन प्रवेश।
2. मीडिया प्रभारी, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. डॉ. पूजा यादव, सह–समन्वयक, समर्थ (ऑनलाईन प्रवेश)।
4. निजी सचिव कुलपति।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHIKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
Website: www.mjpru.ac.in, (NAAC Acredited A++)

पत्रांक : रू.वि. / ऑ.प्र. / 2025 / 2248-56 दिनांक : 19.05.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषय : समर्थ पोर्टल के माध्यम से (सत्र 2025–26) के लिये विश्वविद्यालय परिसर एवं उससे सम्बद्ध बरेली, पीलीभीत, बदायूँ एवं शाहजहाँपुर जिलों में संचालित महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से होने वाले प्रवेश हेतु नियम व दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय परिसर एवं उससे सम्बद्ध बरेली, पीलीभीत, बदायूँ, शाहजहाँपुर के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश के सम्बन्ध में आप सभी को सूचित करना है कि छात्रहित एवं महाविद्यालयों के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रवेश प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2025–26 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से होने वाले समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली एवं पाठ्यक्रमों के लिये स्थापित अध्यादेशों में वर्णित नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये महाविद्यालय स्तर पर स्वयं सम्पन्न कराये जायेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

समस्त महाविद्यालय, प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों / परिनियमों का पालन करते हुये एवं आरक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये सम्पादित करेगें।

1. यह प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025–26 के लिये सभी स्नातक पाठ्यक्रमों (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेशों को छोड़कर) के लिये है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत छात्र को उसकी अर्हता के दृष्टिगत किसी भी दो पाठ्यक्रमों को एक साथ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें एक पाठ्यक्रम संस्थागत छात्र के रूप में तथा दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाईन मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकेगें।
3. छात्र / छात्रायें एक अथवा एक से अधिक महाविद्यालयों, जिनमें कि वे प्रवेश के इच्छुक हों, में अपनी अर्हतानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराते हुये अपनी पंजीकरण संख्या (MJPRURN) एवं पंजीकरण फार्म के प्रिन्ट आउट के साथ अपने इच्छित महाविद्यालयों में ऑनलाईन / ऑफलाईन (महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी व्यवस्था के अनुरूप) आवेदन करते हुये अपनी अंकतालिकाओं, सर्टिफिकेट इत्यादि की छायाप्रति, 05 नवीन फोटोग्राफ के साथ अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क रू. 150 / – निर्धारित है।
5. किसी भी महाविद्यालय में आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी का विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण (MJPRURN) अनिवार्य है।
6. समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु लिंक https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php है।
7. सत्र 2025–26 में स्नातक पाठ्यक्रमों में समर्थ पोर्टल आनलाईन रजिस्ट्रेशन पश्चात् समस्त प्रवेश महाविद्यालयों द्वारा स्वयं किये जायेंगे। किसी भी महाविद्यालय में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार / विश्वविद्यालय के नियमों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है या पालन नहीं किया गया है तो उनके द्वारा प्रवेशित छात्र / छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा तथा उनका प्रवेश पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

8. किसी भी महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश सुनिश्चित किये जायेगें। यदि अनुमन्य सीटों से अधिक प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर किये जाते हैं तो ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमन्य नहीं होगें एवं इसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।
9. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समस्त महाविद्यालय सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से छात्र/छात्राओं को प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगे।
10. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त समस्त महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचकर सही पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) तैयार कर प्रदर्शित करेंगे।
11. छात्र/छात्रायें केवल एक ही महाविद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। समस्त छात्र/छात्रायें अपनी इच्छा एवं अर्हतानुसार, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का चयन सीटों की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं/करने के लिये स्वतंत्र हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक एवं अन्य यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
12. मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) प्रदर्शित करने के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय को, प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त छात्र/छात्राओं के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी का कालेज लॉगिन आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। उक्त डाटा अपलोड की व्यवस्था स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी जो पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध है।
13. समस्त महाविद्यालय स्नातक स्तर के किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित करने से पहले यह भलीभांति देख लें कि अभ्यर्थी ने अपने समस्त शैक्षिक प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा कर दिया है एवं प्रवेश हेतु अर्ह है।
14. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधान/नियम प्रभावी हैं।
15. एन.ई.पी. 2020 से आच्छादित बी.ए. पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र एकल विषय हेतु पंजीकरण कराकर प्रवेश ले सकते हैं।
16. विश्वविद्यालय परिसर से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण के पश्चात् अगले अगले स्टेप पर आवेदन करना सुनिश्चित करना होगा।
17. अभ्यर्थियों की सुविधा के दृष्टिगत महाविद्यालयों हेतु एवं विश्वविद्यालय परिसर हेतु पंजीकरण प्रक्रिया पृथक पृथक संलग्न है।

ऑनलाईन प्रवेश हेतु पंजीकरण की तिथियाँ निम्नवत् होंगी :–

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथि
1	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रू. 150/– प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	20.05.2025
2	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रू. 150/– प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	10.06.2025

मेरिट लिस्ट प्रदर्शित करने एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश सुनिश्चित करने की तिथियॉ ससमय पृथक से घोषित की जायेगीं।

नोट :

1. उक्त तिथियाँ केवल डिप्लोमा एवं स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों, जिनकी **योग्यता/अर्हता इण्टरमीडिएट है**, के लिये हैं।
2. **परास्नातक एवं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेश हेतु अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगीं।**

भवदीय

कुलसचिव

M. J. P. Rohilkhand University, Bareilly

ISO Certified: 9001:2015& 14001:2015; NAAC Accredited A++ Grade
Category- I University (University Grants Commission)

दिनांक: 20-05-2025

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, से सम्बद्ध पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर एवं बरेली जनपद के महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत समर्थ पोर्टल के माध्यम से सत्र 2025 - 26 के पंजीकरण (MJPRURN) एवं स्नातक पाठ्यक्रमों (UG PROGAMMES) के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म (Online Admission Application Form) का प्रारम्भ दिनांक 20 मई को किया जा चुका है। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिन विद्यार्थियों को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, वे निम्न प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण (MJPRURN) करा लें। पंजीकरण शुल्क पूर्व की भांति रुपये 150/- है ।

1. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, की आधिकारिक वेबसाइट **www.mjpru.ac.in** पर जाएं ।
2. वेबसाइट के POP UP अथवा Admission पेज के दिए हुए लिंक MJPRURNS पर क्लिक करें **(https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php)**
3. रजिस्ट्रेशन के पेज पर दाहिने अंकित New Registration पर क्लिक करके अपना login ID बनाएं । बनाए गए login ID को नोट करके रखें । इसके लिए अभ्यर्थी अपना एक वैध email ID/ पहले से अनिवार्य रूप से बना कर रखें क्योंकि OTP उसी मोबाइल नम्बर/ ईमेल पर भेजा जाएगा, जिसको दर्ज करके ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ।
4. रजिस्ट्रेशन अर्थात लॉगिन ID बनाने के बाद दोबारा उसी पेज के दाहिने अंकित Login पर क्लिक करके अपना पूर्ण विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि सूचनाएं) अंकित करके अपनी PROFILE पूर्ण करें ।
5. PROFILE पूर्ण करने के उपरांत Rs 150/- का भुगतान दिए हुए payment gateway के माध्यम से करें ।

   भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अभ्यर्थी का पंजीकरण (MJPRURN) generate हो जाएगा । जिसे अभ्यर्थी नोट कर लें ।
6. अभ्यर्थी अपने पंजीकरण (MJPRURN) का प्रिंट Print Form पर क्लिक करके कभी भी प्राप्त कर सकते है ।
7. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण (MJPRURN) अनिवार्य है । अतः अभ्यर्थी इसका प्रिंट अवश्य रखें ।

8. उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थी MJPRURN एवं पंजीकरण के प्रिंट की फोटोकॉपी के साथ अपने इच्छित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन (महाविद्यालय द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई गयी हो) आवेदन करेंगे ।

9. महाविद्यालय आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर मेरिट लिस्ट बनाकर मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करेंगे । मेरिट बनाने, प्रदर्शित करने एवं प्रवेश सुनिश्चित करने की तिथियां विश्वविद्यालय द्वारा ससमय निर्धारित की जायेंगी ।

10. प्रवेश सुनिश्चित करने के पश्चात समस्त महाविद्यालय समर्थ द्वारा प्रदत्त एक्सेल शीट के निर्धारित प्रारूप में प्रवेशित छात्रों का डाटा विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर महाविद्यालय को उपलब्ध कराये गए Login ID एवं पासवर्ड के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी तिथियां विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

महत्वपूर्ण सूचना:-

1. महाविद्यालय स्तर पर समस्त प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली एवं पाठ्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संपन्न कराया जाना है ।
2. किसी भी दशा में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों से अधिक प्रवेश अनुमन्य नहीं होंगे ।
3. महाविद्यालय द्वारा समस्त प्रवेश मेरिट लिस्ट बनाकर प्रदर्शित करते हुए मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
4. महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से बिना आवेदन प्राप्त किये एवं अभ्यर्थी की इक्षा के विरुद्ध यदि जबरन प्रवेश किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय समुचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा एवं ऐसे प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे ।